कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

// विविध – आदेश //

क्रमांक 33 **/एक–15–20/16** **शिवपुरी, दिनांक**.06/**03/2026**

(संशोधित कार्य विभाजन–2026)

मैं, राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इस कार्यालय के व्यवहारिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 19.01.2026 में आंशिक संशोधन करते हुये, खण्ड 'अ' के सरल क्रमांक 35 के समक्ष कॉलम क्रमांक 03 में दर्शित खनियाधाना क्षेत्राधिकार को विलोपित करता हूँ तथा कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित कण्डिका क्रमांक 10 को विलोपित करता हूँ;

सरल क्रमांक 43 के समक्ष कॉलम क्रमांक 03 में खनियाधाना क्षेत्राधिकार स्थापित करते हुए, कॉलम क्रमांक 04 में "रिक्त न्यायालय" को विलोपित कर, निम्नानुसार कण्डिकाएं स्थापित करता हूँ:–

क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
43	(सुश्री अंजना यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खनियाधाना	तहसील खनियाधाना	**(1)** सिविल वाद जिनका मूल्य रूपये 5,00,000 (पॉच लाख रूपये) से अधिक परन्तु रूपया 1,00,00,000 (एक करोड़ रूपये) से अधिक न हो एवं इनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। **(2)** लघुवाद जिनका मूल्य 201 से रूपये 500 तक हो तथा इनसे उत्पन्न प्रवर्तन व प्रकीर्ण कार्यवाहियां। **(3)** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत उत्पन्न उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले। **(4)** प्रोविन्शियल इन्सौल्वेंसी एक्ट 1920 के अंतर्गत मामले जिनका मूल्यांकन रूपये 50,000–00 से अधिक न हो। **(5)** म0प्र0 नगर पालिका अधि0 1961 की धारा 172 के अंतर्गत फाइल की जाने वाली अपीलें। **(6)** सिविल मामले जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्व ारा समय–समय पर अंतरित किये जावें। **(7)** इसी न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल मामलों से उत्पन्न प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण सिविल मामले। **(8)** तहसील खनियाधाना पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड** जिनके पद वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों से संबंधित अनुषंगिक एवं विविध कार्यवाहियां।

लगातार.....02

साथ ही इस कार्यालय के व्यवहारिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 12 दिनांक 19.01.2026 के खण्ड 'ब' की कण्डिका कमांक 28, 29 एवं 34 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ तथा 33ए नवीन कण्डिका स्थापति करता हूँ:–

कं.	न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति एंव अवकाश पर रहने पर	न्यायिक अधिकारी जो अत्यावश्यक कार्य निपटायेगें।		
28	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(सुश्री अंजना यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खनियाधाना	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
29	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(सुश्री अंजना यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खनियाधाना	(श्रीमती आकांक्षा यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
33ए	(सुश्री अंजना यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खनियाधाना	(श्री विकास विश्वकर्मा) अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्री भूपेन्द्र यादव) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
34	(सुश्री मोनिका वर्मा) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियाधाना	(सुश्री अंजना यादव) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खनियाधाना	(सुश्री नेहा प्रजापति) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पिछोर	(श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद सोनी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक B/839 **/एक–15–20/16** **शिवपुरी, दिनांक** 06/02/**2026**

प्रतिलिपि:–

01– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी
02– अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, पिछोर,
03– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा/खनियाधाना
04– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, करैरा
05– व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खनियाधाना
06– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, पिछोर/खनियाधाना
07– प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, शिवपुरी।

की ओर संशोधित व्यवहारिक कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी (म0प्र0)